

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RASHTRIYA ISPAT NIGAM LIMITED
विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र VISAKHAPATNAM STEEL PLANT
विशाखपट्टणम VISAKHAPATNAM-530031

मानव संसाधन विभाग - नीति व नियम
HUMAN RESOURCES DEPARTMENT - POLICIES & RULES

दि. 21.11.2022


सं.No.HR/RR/08/06/e-dak: २२४

विविध परिपत्र MISCELLANEOUS CIRCULAR NO. 05 / 2022

विषय : कर्मचारी पेंशन योजना-1995 (ई पी एस-95) पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दिये गये फैसले के संबंध में।

Sub: Recent Judgment of the Hon'ble Supreme court on Employees' Pension Scheme-1995 (EPS-95) - reg.

- जैसा कि हम जानते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और अन्य बनाम श्री सुनील कुमार बी और अन्य आदि के मामले में 2019 की विशेष अनुमति याचिका (सी) सं.8658-8659 के संबंध में दि.04.11.2022 को 2022 के सिविल अपील सं.008143-008144 द्वारा फैसला दिया है।
As we are aware that Hon'ble Supreme court has delivered a judgment on 04.11.2022 in Civil Appeal No. 008143-008144 of 2022 arising out of the Special Leave Petition (C) Nos. 8658-8659 of 2019 in the matter of the Employees Provident Fund Organisation & Another etc vs Sunil Kumar B and others etc.
- माननीय न्यायालय ने अन्य मदों के साथ-साथ यह निदेश दिया है कि पेंशन योजना में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की अधिसूचना सं.जीएसआर 609 (ई), दि.22 अगस्त, 2014 के द्वारा किया गया संशोधन छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों पर लागू होगा और ईपीएस -95 के अनुच्छेद 11 (4) के तहत विकल्प के उपयोग की अवधि चार महीने तक बढ़ायी जायेगी।
The Hon'ble court inter alia has directed that amendment to the Pension scheme brought about by the EPFO vide notification no. GSR 609 (E) dated 22 August 2014 shall apply to the employees of the exempted establishments; and time to exercise option under paragraph 11(4) of the EPS-95 shall be extended for a further period of four months.
- इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि न्यायालय के फैसले के परिणामस्वरूप, उपर्युक्त आदेश के कार्यान्वयन के लिए ई पी एफ ओ से कवरेज, विधि-विधान और अपनायी जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है।
In this regard, it is informed that consequent to Court judgment, detailed communication with regard to coverage, modalities and process to be followed for implementation of the abovementioned order is awaited from EPFO.
- फैसले के कार्यान्वयन के लिए ई पी एफ ओ से मार्गदर्शन/निदेश प्राप्त होते ही सभी संबद्धों को इसकी सूचना दी जाएगी।
We shall inform all the concerned as soon as guidance/ direction is received from EPFO for implementation of the judgment.



(एन वी एस राजु N V S Raju)

महाप्रबंधक (मा सं)- का स्था, गैर-संकर्म और नीति व नियम,
GM(HR)- EE, NW, P&R

वितरण Distribution:

मानक Standard

यह परिपत्र मानव संसाधन के पोर्टल के निम्नलिखित लिंक में उपलब्ध है। This Circular is available on the HR Portal at:
<http://www.vpsite.org:86/hr/CorporatePersonnel/RulesandPolicies/MiscellaneousCirculars.aspx>